

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

दिनांक: 09-12-2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| 953             | तारांकित प्रश्न सं.1<br>(प्रश्न क्रं.615)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री राजकुमार मेव) | खरगौन जिले की महेश्वर वि.स.क्षेत्र में हार्टीकल्चर हब की स्थापना की जाना । | आसंदी से निर्देश :- मुख्यमंत्री जी से बात करेंगी और उसका निर्णय करेंगी । |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 09-12-2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 954             | ध्यानाकर्षण<br>(सूचना क्रं.145)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री शैलेन्द्र जैन) | (1) मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण कंपनी प्रायवेट लिमिटेड सागर द्वारा सागर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को एवरेज विद्युत बिल देकर अवैध वसूली की जाना एवं वित्तीय अनियमितता की तथा अमानक विद्युत मीटर लगाये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराई जाना।<br>(2) जांच में सदर और मकरोनिया को भी सम्मिलित कर मान. सदस्य के समक्ष जांच कराई जाना। | (1) जैसा कि विधायक जी चाहते हैं, उनकी उपस्थिति में उच्च स्तरीय जांच करा दी जायेगी, एक जांच दल भोपाल से गठित कर दिया जायेगा।<br><br>(2) जी कर देंगे। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

गृह(पुलिस) विभाग

दिनांक: 09-12-2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 955             | तारांकित प्रश्न सं.2<br>(प्रश्न क्रं.259)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री बहादुर सिंह चौहान)                | उज्जैन जिले के थाना महिदपुर में पंजीबद्ध अपराध क्र. 33/15 के अंतर्गत, नवलखा बीज कंपनी एवं दिलीप ट्रेडिंग कंपनी महिदपुर तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था उज्जैन की जांच पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | (1) समिति से जांच कराने की बात है तो हम कृषि विभाग से कहेंगे कि इसकी तत्काल जांच कराये।<br>(2) पुलिस से करा लेंगे।<br>(3) हम पुलिस से जांच करा लेंगे, भोपाल से किसी को भेजना है, भोपाल से भेज देंगे।<br>(4) अतिशीघ्र करा लेंगे। |                             |                           |
| 956             | तारांकित प्रश्न सं.10<br>(प्रश्न क्रं.572)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री नीलेश अवस्थी)                    | दशहरा चल समारोह 2015 गोसलपुर जिला जबलपुर में वाहन के अनियंत्रित होकर चल समारोह में प्रवेश करने से घायलों का निःशुल्क इलाज कराया जाना।  | हम उनके पूरे इलाज का खर्चा उठायेंगे।  |                             |                           |
| 957             | तारांकित प्रश्न सं.11<br>(प्रश्न क्रं.386)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्रीमती पारूल साहू केशरी)             | सागर जिले के थाना जैसीनगर के थाना प्रभारी श्री आर.पी.रावत के विरुद्ध शिकायत की जांच एवं कड़ी कार्यवाही की जाना।  | जिले से बाहर कर देंगे।  |                             |                           |
| 958             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.3<br>(प्रश्न क्रं.20)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा) | अशोक नगर में विधान सभा चुनाव की मतगणना दिनांक 08.12.2013 के दौरान हिंसा करने के नामजद शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाना।   | शेष 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास जारी है।   |                             |                           |

| (1)        | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) |
|------------|--|--|--|-----|-----|
| <b>959</b> | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.23<br>(प्रश्न क्रं.260)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री बहादुर सिंह चौहान) | प्रश्नकर्ता मा.सदस्य द्वारा दिनांक 07.11.2015 को दिये आवेदन पत्र की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। | दिनांक 07.11.2015 के आवेदन पर जांच की जा रही है। |     |     |
| <b>960</b> | अतारांकित प्रश्न सं.59<br>(प्रश्न क्रं.787)<br>दि. 09-12-2015<br>(इन्जी. प्रदीप लारिया)            | पदमाकर थाना भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना।  | भवन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है।            |     |     |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

**पशुपालन विभाग**

**दिनांक: 09-12-2015**

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| <b>961</b>      | अतारांकित प्रश्न सं.39<br>(प्रश्न क्रं.537)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया) | वर्ष 2014-15 में जिला अशोकनगर में नियमानुसार रेण्डम आधार पर औषधि का परीक्षण कराये बिना भुगतान करने वाले तत्कालीन उप संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं अशोकनगर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | डॉ. आर.पी.एस. भदौरिया, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अशोकनगर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। |                             |                           |
| <b>962</b>      | अतारांकित प्रश्न सं.66<br>(प्रश्न क्रं.878)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री जालम सिंह पटेल)         | नरसिंहपुर जिला अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध समितियों को पुनर्जीवित करने एवं नवीन दुग्ध समितियों का गठन किया जाना।  | दुग्ध समितियों पुनर्जीवित करने एवं नवीन दुग्ध समितियों के गठन का कार्य जारी है।                            |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

**दिनांक: 09-12-2015**

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| <b>963</b>      | तारांकित प्रश्न सं.18<br>(प्रश्न क्रं.784)<br>दि. 09-12-2015<br>(इन्जी. प्रदीप लारिया)  | (1) सागर जिले के सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना ।<br>(2) जर्जर भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों को शीघ्र शिफ्ट किया जाना ।                  | (1) जितने भी निर्माणाधीन और स्वीकृत आंगनवाड़ियों का काम है, वह शीघ्र ही पूरा करा लिया जायेगा ।<br>(2) हम भवनो को तुरन्त ही जो हमारे शासकीय विद्यालय है उनमें हमने जहां-जहां, शिफ्ट किये है वहां उन भवनों को हम शिफ्ट करेंगे। |                             |                           |
| <b>964</b>      | तारांकित प्रश्न सं.24<br>(प्रश्न क्रं.473)<br>दि. 09-12-2015<br>(डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) | (1) जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अपूर्ण/आंगनवाड़ी भवनों का अप्रारंभ निर्माण समय-सीमा में कराया जाना ।<br>(2) लाइली लक्ष्मी योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 की स्वीकृति राशि निधि में नियमानुसार जमा कराई जाना । | (1) 45 भवन निर्माणाधीन है एवं चार भवन अप्रारंभ है।<br>(2) राशि निधि में जमा करने की कार्यवाही जारी है ।  |                             |                           |
| <b>965</b>      | अतारांकित प्रश्न सं.22<br>(प्रश्न क्रं.327)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री दुर्गालाल विजय)  | श्योपुर जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत स्व-सहायता समूहों की भोजन परोसने के एवज में बकाया राशि का भुगतान शीघ्र किया जाना ।   | माह अक्टूबर 2015 का भुगतान प्रक्रियाधीन है ।   |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

**राजस्व विभाग**

**दिनांक: 09-12-2015**

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| 966             | तारांकित प्रश्न सं.3<br>(प्रश्न क्रं.422)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्रीमती शकुन्तला खटीक)      | (1) ग्राम खडीचा तहसील नरवर जिला शिवपुरी के शासकीय सर्वे क्र. 1939 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण में पटवारी की सहभागीता की जांच एवं कार्यवाही।<br>(2) अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया जाना एवं नियमानुसार उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाना। | (1) इसमें जिस पटवारी का उल्लेख किया है वह संलिप्त है, तो उसको भी निलंबित कर देंगे।<br>(2) आज ही आदेश जारी हो जायेगा। बेदखली के बाद सिविल जेल की कार्यवाही भी करेंगे।   |                             |                           |
| 967             | तारांकित प्रश्न सं.4<br>(प्रश्न क्रं.570)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री तरूण भनोत)             | जबलपुर जिले की तहसील गोरखपुर के मौजा रामपुर प.ह.नं.9 के खसरा नम्बर 65/1 एवं 65/2 रकबा 1-169 हेक्ट. भूमि का विधिवत सीमांकन कराया जाना।   | (1) फिर भी अगर किसी तरह का कोई माफिया अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उनका हम विधिवत सीमांकन करवा लेंगे।<br>(2) आपको अगर कोई शिकायत है तो जांच भी हम करा लेंगे।<br>(3) आपने जो विषय रखा है, उसको हम शामिल कर लेंगे। |                             |                           |
| 968             | तारांकित प्रश्न सं.13<br>(प्रश्न क्रं.505)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री हरदीप सिंह डंग)       | मंदसौर एवं नीमच जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों के बिजली के बिलों की वसूली स्थगित किया जाना।  | निश्चित रूप से शासन की तरफ से यह निर्देश जायेगा।   |                             |                           |
| 969             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.9<br>(प्रश्न क्रं.99)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्रीमती ममता मीना) | गुना जिले के परगना गुना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी अजय सेलर की पदस्थापना अनुमति बगैर बदले जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।  | (1) जांच हेतु स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। कलेक्टर गुना को निर्देश दिये गये हैं।<br>(2) कार्यवाही की जा रही है।  |                             |                           |

| (1)        | (2)  | (3)  | (4)   | (5) | (6) |
|------------|--|--|---|-----|-----|
| <b>970</b> | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.11<br>(प्रश्न क्रं.111)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री नारायण सिंह पँवार) | राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा के अंतर्गत तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।                     | कार्यवाही प्रचलित है।   |     |     |
| <b>971</b> | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.30<br>(प्रश्न क्रं.458)<br>दि. 09-12-2015<br>(डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)  | जिला रतलाम की जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नामांतरण बटवारा एवं जाति प्रमाणपत्र के लंबित आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना। | 1956 आवेदन में निराकरण हेतु कार्यवाही प्रचलित है।   |     |     |
| <b>972</b> | अतारांकित प्रश्न सं.69<br>(प्रश्न क्रं.906)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री जितू पटवारी)                | प्रदेश के पटवारी संवर्ग को छठे वेतनमान अनुसार रू.2800 ग्रेड वेतन दिया जाना।  | (1) पटवारियों के ग्रेड वेतन दिये जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है।<br>(2) प्रस्ताव विचाराधीन है। |     |     |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

**दिनांक: 09-12-2015**

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| 973             | तारांकित प्रश्न सं.7<br>(प्रश्न क्रं.166)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री दिनेश राय)                | सिवनी विधान सभा क्षेत्र में नल-जल योजना अंतर्गत जमीन में पानी स्रोत नहीं होने पर परिवहन करके पानी की व्यवस्था की जाना।   | हम पानी परिवहन करके देंगे लेकिन हर हाल में पानी की पूर्ति करेंगे।                    |                             |                           |
| 974             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.17<br>(प्रश्न क्रं.197)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री विश्वास सारंग) | बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के तहत प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल योजनाओं में की गई आर्थिक अनियमितताओं की मा.उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये जांच के आदेशानुसार जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाना। | जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जांच निष्कर्ष के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।      |                             |                           |
| 975             | अतारांकित प्रश्न सं.54<br>(प्रश्न क्रं.696)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री विजय सिंह सोलंकी)       | खरगौन जिले के भगवानपुरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम धूलकोट में आवर्धन योजना की स्वीकृति शीघ्र दी जाना।   | ग्राम धूलकोट विकासखण्ड भगवानपुरा की आवर्धन योजना स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।      |                             |                           |
| 976             | अतारांकित प्रश्न सं.57<br>(प्रश्न क्रं.755)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री विष्णु खत्री)           | विकाखण्ड बैरसिया जिला भोपाल एवं विकासखण्ड नंटेरन जिला विदिशा में प्रस्तावित समूह नल-जल योजना की स्वीकृति शीघ्र दी जाना।  | सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर) बनाने की कार्यवाही की जा रही है। |                             |                           |
| 977             | अतारांकित प्रश्न सं.58<br>(प्रश्न क्रं.786)<br>दि. 09-12-2015<br>(इन्जी. प्रदीप लारिया)        | सागर जिले के सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को पुनः चालू किया जाना।   | कार्यवाही की जा रही है।  |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

**श्रम विभाग**

**दिनांक: 09-12-2015**

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| 978             | ध्यानाकर्षण<br>(सूचना क्र.46)<br>दि. 09-12-2015<br>(श्री दिलीप सिंह शेखावत) | (1) श्रम विभाग, म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत दिनांक 28 जून 2014 को जारी अधिसूचना विरुद्ध ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किये जाने की विस्तृत जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।<br>(2) 58 वर्ष की आयु करने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों को संशोधित अधिनियम के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं किया जाना । | (1) 30 दिसम्बर, तक त्रिपक्षीय वार्ता हम बुलायेंगे, चर्चा करेंगे और इसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे ।<br>(2) हम वृहद स्तर पर जांच करायेंगे ।<br>(3) शासन स्तर पर इसका पूरा प्रयास किया जायेगा ।<br>(4) हम पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं ।<br>(5) जो इस प्रकार से पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ भी हम कड़ी कार्यवाही करेंगे । |                             |                           |

| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) |
|-----|--|--|--|-----|-----|
| 979 | <p>ध्यानाकर्षण<br/>(सूचना क्रं.46)<br/>दि. 09-12-2015<br/>(डॉ. रामकिशोर दोगने)</p>     | <p>(1) श्रम विभाग, म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत दिनांक 28 जून 2014 को जारी अधिसूचना विरूद्ध ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किये जाने की विस्तृत जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।<br/>(2) 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों को संशोधित अधिनियम के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं किया जाना।</p> | <p>(1) 30 दिसम्बर, तक त्रिपक्षीय वार्ता हम बुलायेंगे, चर्चा करेंगे और इसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम वृहद स्तर पर जांच करायेंगे। शासन स्तर पर इसका पूरा प्रयास किया जायेगा। हम पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं।<br/>(2) जो इस प्रकार से पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ भी हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।</p>                         |     |     |
| 980 | <p>ध्यानाकर्षण<br/>(सूचना क्रं.46)<br/>दि. 09-12-2015<br/>(श्री दिलीप सिंह शेखावत)</p> | <p>(1) श्रम विभाग, म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत दिनांक 28 जून 2014 को जारी अधिसूचना विरूद्ध ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किये जाने की विस्तृत जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।<br/>(2) 58 वर्ष की आयु करने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों को संशोधित अधिनियम के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं किया जाना।</p>      | <p>(1) 30 दिसम्बर, तक त्रिपक्षीय वार्ता हम बुलायेंगे, चर्चा करेंगे और इसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।<br/>(2) हम वृहद स्तर पर जांच करायेंगे।<br/>(3) शासन स्तर पर इसका पूरा प्रयास किया जायेगा।<br/>(4) हम पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं।<br/>(5) जो इस प्रकार से पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ भी हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।</p> |     |     |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5) | (6) |
|-----|--|---|---|-----|-----|
| 981 | <p>ध्यानाकर्षण<br/>(सूचना क्रं.46)<br/>दि. 09-12-2015<br/>(श्री दिलीप सिंह शेखावत)</p> | <p>(1) श्रम विभाग, म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत दिनांक 28 जून 2014 को जारी अधिसूचना विरूद्ध ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किये जाने की विस्तृत जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।<br/>(2) 58 वर्ष की आयु करने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों को संशोधित अधिनियम के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं किया जाना ।</p> | <p>(1) 30 दिसम्बर, तक त्रिपक्षीय वार्ता हम बुलायेंगे, चर्चा करेंगे और इसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे ।<br/>(2) हम वृहद स्तर पर जांच करायेंगे ।<br/>(3) शासन स्तर पर इसका पूरा प्रयास किया जायेगा ।<br/>(4) हम पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं ।<br/>(5) जो इस प्रकार से पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ भी हम कड़ी कार्यवाही करेंगे ।</p> |     |     |